

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती  
विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखनऊ की 11 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9127/50/10/छ./विविध/2017-18, दिनांक 07 जनवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ की नगर निगम, लखनऊ की मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 11 परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-6 में अंकित कुल रू० 121.94 लाख (रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-i-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित भद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

1384/FC  
श्री अनिल कुमार बाजपेयी  
विशेष सचिव  
उ०प्र० शासन  
07/02/19

FC/उपनिर्देशक  
07/02/19

8441/KLS  
07/02/19

4-83  
I-18-02  
100%

UPNIC.IN

5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगपन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चातू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

15. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
  16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2015, दिनांक 30.03.2018 व समय-समय पर जारी शासनादेशों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - ग्रथोक्त।

भद्रदीप  
5/3/19  
(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

संख्या-163 /2019/2575(1)/69-1-18, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय जिधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।

2019 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

| क्र० सं० | जनपद का नाम | निकाय/नगर पंचायत का नाम। | बस्ती/वाड़ का नाम/कार्य का विवरण।  | परियोजना की कुल लागत। | स्वीकृति की जा रही धनराशि। |
|----------|-------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1        | 2           | 3                        | 4  | 5                     | 6                          |
| 1        | लखनऊ        | न०नि० लखनऊ               | वाड़ नं० 14 पंचमखेड़ा बस्ती (पार्ट-ए) में महेश के घर से जमुना के घर तक एवं राम गुलाम के घर से महेश के घर तक पासी की गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।                             | 5.28                  | 5.28                       |
| 2        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 पंचमखेड़ा बस्ती (पार्ट-बी) में रामजनम के घर से जगन्नाथ के घर तक एवं संतोष के घर से रामजनम के घर तक पास की गलियों में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।                        | 9.44                  | 9.44                       |
| 3        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 मो० हैवतमऊ (पार्ट-ए) में अजय सिंह के घर से जगन के घर तक एवं कमलेश के घर से सुमेर के घर तक घर-के-घर तक की गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।                            | 11.61                 | 11.61                      |
| 4        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 मो० हैवतमऊ (पार्ट-बी) में दयाराम के घर की गली एवं अमरनाथ के घर से प्राइमरी पाठशाला तक घर-तक पासी की गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।                                 | 9.49                  | 9.49                       |
| 5        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 मो० हैवतमऊ (पार्ट-सी) में काली मन्दिर से प्राइमरी पाठशाला वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।  | 9.92                  | 9.92                       |
| 6        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 मो० हैवतमऊ (पार्ट-सी) में बाबू लाल के घर से करतार के घर तक एवं श्यामू के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।  | 5.29                  | 5.29                       |
| 7        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 मो० हैवतमऊ (पार्ट-सी) में ननकऊ के घर की गली, चेताराम के घर की गली, परिदेन के घर से रामविलास के घर तक, श्यामलाल से गुड्डू एवं राकेश के घर तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 13.89                 | 13.89                      |
| 8        | लखनऊ        | तदैव                     | वाड़ नं० 14 मो० हैवतमऊ (पार्ट-ई) में राजकुमार के घर से संतोष के घर तक एवं छोटे लाल के घर से बाबू लाल के घर वाली गली तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।                                  | 11.12                 | 11.12                      |

|     |      |      |  |        |        |
|-----|------|------|--|--------|--------|
| 9   | लखनऊ | तटैव | वार्ड नं0 14 मो0 हैवतनऊ (पार्ट-एच) में धुययनबाबा मन्दिर वाली गली काशी के घर तक एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।   | 27.27  | 27.27  |
| 10  | लखनऊ | तटैव | वार्ड नं0 14 मो0 हैवतनऊ (पार्ट-जी) में गुड्डू के घर की गली, मोहनदास के घर से बृजराज सिंह, धनप्रकाश के घर वाली गली एवं रामलखन के घर से कल्लू के घर वाली गली तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य। | 10.18  | 10.18  |
| 11  | लखनऊ | तटैव | वार्ड नं0 14 मो0 हैवतनऊ (पार्ट-जी) में रामखिलावन के घर से चन्द्रिका के घर तक नाली इण्टरलॉकिंग का कार्य।  | 8.45   | 8.45   |
| योग |      |      |  | 121.94 | 121.94 |

(रूपये एक करोड़ इक्कीस लाख चौरानबे हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

http://shassanadesh.up.gov.in